छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 188/2006</u>

श्रीमती मधुलिका चौबे, ... अपीलार्थी
मकान नं. 10/226,
सत्तीबाजार,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
सचिव,
राष्ट्रीय विद्यालय समिति,
श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा
कन्या महाविद्यालय, कचहरी
चौक,
रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(24 अगस्त 2006)

श्रीमती मधुलिका चौबे, अध्यक्ष प्राध्यापक संघ, श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिनांक 13–3–2006 को अध्यक्ष/सचिव, राष्ट्रीय विद्यालय समिति को प्रस्तत किया था जिसमें सेवा से पृथक किये गये प्राध्यापकों डॉ0 शिखा मित्रा, डॉ0 नेहा दीवान, श्रीमती मधुलिका चौबे, श्रीमती किरण पाण्डे, श्रीमती स्मृति अग्रवाल व कु0 मोनिका अवधिया की नियुक्ति के संबंध में जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज मांगे थे। साथ ही उक्त प्राध्यापकों की सर्विस बुक, भविष्य निधि आदि की जानकारी चाही गई थी। इसके साथ ही प्राध्यापकों को सेवा से पृथक करने के पूर्व शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय की प्रतिलिपि भी चाही थी। उक्त जानकारी निर्धारित अवधि में उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अतः उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की अपील की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी ने बताया कि समिति ने कोई सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं की गई। उनके द्वारा दिनांक 31–5–2006 को महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिये गये अनुदान की प्रति प्रस्तुत की। इससे स्पष्ट हुआ कि महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त होता है, अतः सूचना का अधिकार के अंतर्गत उक्त महाविद्यालय जानकारी देने हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है।

प्रतिअपीलार्थी सचिव, राष्ट्रीय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.महोबिया, अभिभाषक उपस्थित हुए। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रतिअपीलार्थी की ओर से दिनांक 21–8–2006 को लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई तथा संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किया गया। समिति की ओर से शपथ पत्र श्री रूपचंद जैन, सचिव का प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि समिति को राज्य शासन से सीधे अथवा अपरोक्ष रूप से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। समिति के द्वारा संचालित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत विकास के मद के लिए राशि प्रदान की गई है, जिसका हिसाब–किताब संबंधित संस्था के प्राचार्य के द्वारा ही रखा जाता है। समिति के पास महाविद्यालय के कार्यालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः समिति के संरक्षण में अभिलेख न होने से समिति जानकारी देने में सक्षम नहीं है। समिति के सचिव के द्वारा भी पृथक से आवेदन पत्र दिया गया है कि यदि आवेदक कोई अभिलेख महाविद्यालय से चाहते हैं तो महाविद्यालय के सूचना अधिकारी को या प्राचार्य को आवेदन पत्र देकर नियमानुसार अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिअपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि महाविद्यालय संस्था के द्वारा संचालित है, अतः संस्था को जानकारी देना चाहिए।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विद्यालय समिति के द्वारा 5 संस्थाएँ संचालित होती हैं। समिति का यह तर्क है कि इन सभी संस्थाओं का कार्यालय पृथक–पृथक है तथा उनका अभिलेख भी उन्हीं संस्थाओं में रखा जाता है। समिति शासन के द्वारा वित्तपोषित संस्था नहीं है। यदि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलता है तो वह सीधे प्राचार्य को ही प्राप्त होता है तथा उसका उपयोग करने की जवाबदारी एवं उससे संबंधित लेखा रखने की जवाबदारी भी प्राचार्य की ही है। समिति का संबंधित संस्था के रिकार्ड से सीधे कोई संबंध नहीं है।

यह आपत्तिजनक है कि महाविद्यालय अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् भी अभी तक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। प्राचार्य, श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त करे तथा इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित भी किया जावे। चूंकि जानकारी से संबंधित अभिलेख प्राचार्य के संरक्षण में है, अतः यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का आवेदन पत्र समिति के द्वारा संबंधित महाविद्यालय को भेजा जावे तथा संबंधित महाविद्यालय की सूचना अधिकारी के द्वारा अभिलेख हेतु निर्धारित फीस जमा करने की सूचना आवेदक को दी जावे तथा निर्धारित फीस जमा होने पर निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान की जावे। यदि सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो आवेदक विधिवत् सक्षम कार्यवाही कर सकते हैं। इस आदेश की प्रति आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्देश का पालन कराने तथा प्राचार्य, श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को भी निर्देश का पालन करने हेतु भेजी जावे।

उक्त निर्देशों सएहित अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त